कम संख्या 128 (ङ)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्लू / एन.पी.
लाइसेन्स सं0 डब्लू पी0 — 41
(लाइसेन्स टू पोस्ट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग — 4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

इलाहाबाद, शुक्रवार, 31 मार्च, 2000 ई0
(चैत्र 11, 1922 शंक सम्वत्)

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विभाग

अनुभाग—4

संख्या 44 / 12—4—99—1715 / 93

लखनऊ, दि0 31 मार्च, 2000 ई0

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0 — 24

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन, अधिष्ठान सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्न लिखित नियमावली बनाते हैं—

भाग—एक सामान्य

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2— सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा एक सेवा है जिसमें समूह "ग" और समूह "घ" के पद समाविष्ट हैं।

3— परिभाषायें— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिले के ट्रेसर के पद के सम्बन्ध में जिले के उपनिदेशक कृषि (प्रसार) और मानचित्रक, यांत्रिक मानचित्रक और ज्येष्ठ मानचित्रक के पदों के सम्बन्ध में तात्पर्य अपर निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है।

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा से है।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4–**सेवा का संवर्ग** :– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी क्रमशः सामान्य संवर्ग और पर्वतीय उपसंवर्ग के सम्बन्ध में परिशिष्ट "क (1)" और परिशिष्ट "क (2)" में दिया गया है।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन भर्ती

5– **भर्ती का स्त्रोत** :– सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी–

(1) ट्रेसर :– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) मानचित्रक – (एक) 80 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 20 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त **ट्रेसरों** में से जिन्होंने इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मानचित्रक के पद सीधी भर्ती के लिए नियम 8 में विहित अपेक्षित अर्हतायें रखते हों, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र और उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां भर्ती के पश्चातवर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी।

(3) ज्येष्ठ मानचित्रक :– मौलिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) यांत्रिक मानचित्रक :– मौलिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6– **आरक्षण** :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाऐगा।

भाग–चार अर्हताएं

7– **राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यार्थी–**

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार प्राप्ता पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यार्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यार्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आग सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि यह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यार्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8– शैक्षिक अर्हतायें :– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यार्थी को निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं–

पद	अर्हता
(1) ट्रेसर	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा कला, आलेखन या वाणिज्यिक आलेखन।
(2) मानचित्रक	किसी एक विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है– **(एक)** रूड़की विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में प्रमाण–पत्र। **(दो)** राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण–पत्र। **(तीन)** बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में तीन वर्ष का प्रमाण–पत्र **(चार)** गवर्नमेंट आर्ट कालिज, लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा। **(पांच)** राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश द्वारा सिविल अभियन्त्रण, मे प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा। **(छः)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल अभियन्त्रण में प्रदान किया गया डिप्लोमा, **(सात)** श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाये जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, **(आठ)** अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता का ढाई वर्ष का प्रमाण–पत्र।

9–अधिमानी अर्हता :– अन्य शर्तो के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिससे–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कौर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद जिसके लिए नियुक्ति की जानी हो,की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ——————सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। ———सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संमीक्षा करेगी और पात्र अभ्यार्थियों से किसी प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) अभ्यार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जो इस सम्बन्ध मे चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियत मानक तक आये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रदान किये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की जोड़ा जायेगा।

(4) चयन समिति अभ्याथियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यार्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाऐगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 % से अधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

16– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्टता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों की पात्रता सूचियाँ समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझा जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यार्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यार्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यार्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जाती हैं एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17– संयुक्त चयन सूची :– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यार्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेगें कि **विहित** प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18– नियुक्ति :–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वह यथास्थिति, नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्टता क्रम में किया जायेगा, जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिनमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट के अनुसार रखा जायेगा।

19– **परिवीक्षा** :– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20– **स्थायीकरण** :– (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं हैं वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

21– **ज्येष्ठता** – किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

22– **वेतनमान** :– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है –

क्र0सं0 (I)	पद का नाम (II)	वेतनमान (रूपये) (III)
1	ट्रेसर	2750–70–3800–75–4400
2	मानचित्रक	4000–100–6000
3	ज्येष्ट मानचित्रक	5000–150–8000
4	यान्त्रिक मानचित्रक	4500–125–7250

23– **परिवीक्षा अवधि में वेतन** :– (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेंगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24– दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड – किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उनका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग – आठ अन्य उपलब्ध

25– पक्ष समर्थन– किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक पर विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26– अन्य विषयों का विनियमन – ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो, विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27– सेवा की शर्तों में शिथिलता – जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है

28– व्यावृत्ति– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट – क (1) – सामान्य संवर्ग
नियम 4 (2) देखिये

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अभ्यर्थी	योग
1	2	3	4	5
1	ट्रेसर	46	96	142
2	मानचित्रक	56	79	135
3	यान्त्रिक मानचित्रक	01	–	01
4	ज्येष्ठ मानचित्रक	–	04	04

परिशिष्ट क (2) – पर्वतीय उप संवर्ग
(नियम 4 (2) देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	पदो की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	ट्रेसर	39	–	39
2	मानचित्रक	27	–	27

आज्ञा से

केशव देविराजू
सचिव

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार प्राप्त पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यार्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यार्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आग सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यार्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8– शैक्षिक अर्हतायें :– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यार्थी को निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है–

पद	अर्हता
(1) ट्रेसर	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा कला, आलेखन या वाणिज्यिक आलेखन।
(2) मानचित्रक	किसी एक विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **(क)** माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **(ख)** निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है– **(एक)** रूड़की विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में प्रमाण–पत्र। **(दो)** राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण–पत्र। **(तीन)** बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में तीन वर्ष का प्रमाण–पत्र **(चार)** गवर्नमेंट आर्ट कालिज, लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा। **(पांच)** राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश द्वारा सिविल अभियन्त्रण, मे प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा। **(छः)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल अभियन्त्रण में प्रदान किया गया डिप्लोमा, **(सात)** श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाये जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, **(आठ)** अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता का ढाई वर्ष का प्रमाण–पत्र।

9–अधिमानी अर्हता :– अन्य शर्तों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिससे–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कौर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10– **आयु**– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर, आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11– **चरित्र** – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिऐ कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । इस बिन्दु पर नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

12– **वैवाहिक परिस्थिति** :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यार्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यार्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसको पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसको यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13– **शारीरिक स्वस्थता** :– किसी अभ्यार्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाऐगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हों। किसी अभ्यार्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेंन्सियल हैण्ड बुक खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यार्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाऐगी।

भाग–पाँच भर्ती की प्रक्रिया

14– **रिक्तियाँ का अवधारण** :– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित रीति में रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा–

(एक) व्यापक परिचालन रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/टेलीविजन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और।

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

15– **सीधी भर्ती की प्रक्रिया** :– (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें निम्नांकित होंगे–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी ——————अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न एक अधिकारी को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ——————सदस्य

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का न हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनु0 जनजाति से भिन्न एक अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ——————सदस्य

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद जिसके लिए नियुक्ति की जानी हो,की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ——————सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। ———सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संगीक्षा करेगी और पात्र अभ्यार्थियों से किसी प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) अभ्यार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेंगी जो इस सम्बन्ध मे चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियत मानक तक आये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रदान किये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की जोडा जायेगा।

(4) चयन समिति अभ्याथियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यार्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाऐगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 % से अधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

16– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–

(I) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्टता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों की पात्रता सूचियाँ समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझा जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यार्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यार्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यार्थियों की ज्येष्टता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जाती हैं एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17– संयुक्त चयन सूची :– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यार्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18– नियुक्ति :–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वह यथास्थिति, नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम मे किया जायेगा, जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिनमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट के अनुसार रखा जायेगा।

19– **परिवीक्षा** :– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20– **स्थायीकरण** :– (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

21– **ज्येष्ठता** – किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

22– **वेतनमान** :– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है –

क्र0सं0 (I)	पद का नाम (II)	वेतनमान (रूपये) (III)
1	ट्रेसर	2750–70–3800–75–4400
2	मानचित्रक	4000–100–6000
3	ज्येष्ट मानचित्रक	5000–150–8000
4	यान्त्रिक मानचित्रक	4500–125–7250

23– **परिवीक्षा अवधि में वेतन** :– (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24– दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड – किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जावेगी जब तक कि उनका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग – आठ अन्य उपलब्ध

25– पक्ष समर्थन– किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक पर विचार नही किया जावेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26– अन्य विषयों का विनियमन – ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो, विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27– सेवा की शर्तों में शिथिलता – जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28– व्यावृति– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट – क (1) – सामान्य संवर्ग
नियम 4 (2) देखिये

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अभ्यर्थी	योग
1	2	3	4	5
1	ट्रेसर	46	96	142
2	मानचित्रक	56	79	135
3	यांत्रिक मानचित्रक	01	–	01
4	ज्येष्ठ मानचित्रक	–	04	04

परिशिष्ट क (2) – पर्वतीय उप संवर्ग
(नियम 4 (2) देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	पदो की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	ट्रेसर	39	–	39
2	मानचित्रक	27	–	27

आज्ञा से

केशव देविराजू
सचिव

(41)

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1408 / कृषि / 3(5) / 2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग सेवा नियमावली, 2000 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1—संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2—"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 में जहां जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है वहां—वहां यह शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

3—दिनांक 9—11—2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन—

दिनांक 9—11—2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 में समय-समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

आज्ञा से,
(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 384 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1408/Agri/3(5)/2002 dated November 08, 2002 for general information :

NOTIFICATION

November 08, 2002

No. 1408/Agri/3(5)/2002—WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

AND WHEREAS, the U.P. Drawing Establishment Service Rules, 2000 is in force as rules in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the U.P. Drawing Establishment Service Rules, 2000 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :—

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः 703 **XIII** / 3(09) / 2006
देहरादूनः दिनांक 15 अक्टूबर, 2008
अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारतीय संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, रेखांकन अधिष्ठान) सेवा नियमावली, 2000 मे संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

उत्तराखण्ड कृषि विभाग, रेखांकन अधिष्ठान (संशोधन) सेवा नियमावली, 2008

शीर्षक एवं प्रारम्भ 1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड" कृषि विभाग, रेखांकन अधिष्ठान (संशोधन) सेवा नियमावली, 2008 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

" उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना :–

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, रेखांकन अधिष्ठान) सेवा नियमावली, 2000 मे जहां–जहां शब्द " उत्तरांचल" आया है, वहां–वहा वह शब्द " उत्तराखंण्ड" पढ़ा जायेगा।

नियम 15 के उपनियम (2)(3) एवं (4) का प्रतिस्थापन

3– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, रेखांकन अधिष्ठान) सेवा नियमावली, 2000, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ –1 मे दिये गये वर्तमान नियम–15 के उपनियम (2),(3) एवं (4) के स्थान पर स्तम्भ –2 मे दिये गये उपनियम दिये जायेगें अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) सीधी भर्ती की प्रक्रिया। 15 (2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी। (3) अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको को सारणीबद्व किये जाने के पश्चात चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी। इस संबध मे चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियत मानक तक आते हो। साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके द्वारा लिखित परीक्षा मे प्राप्त किये गये अंको मे जोडा जायेगा। (4) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम मे जैसे कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा मे उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची मे नामो की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनअधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	(1) सीधी भर्ती की प्रक्रिया । 15 (2)सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों मे जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। (3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उपनियम (2) मे प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा: (एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों मे जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके। (4) उप नियम (3) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नही किया जायेगा,

	(5) चयन के लिये 100 अंको की एक लिखित परीक्षा वस्तुपिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमे संबधित पद की शैक्षिक अर्हता के पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी का एक प्रश्नपत्र होगा। (6) प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। (7) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (8) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ दो प्रतियों मे होगी तथा कार्बन प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (9) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखंण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशित की जायेगी । (10) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और अन्य मूल्यांकनों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को असारित करेगी।

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 1313 /XIII (1)/2010–3(05)/2006

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 29 दिसम्बर,2010

विषय–कृषि विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत प्रारूपकार (ड्राफ्टसमैन) को उच्चीकृत वेतनमान दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7, के अ0शा0 पत्र संख्या 613/XXVII(7) च0प्रति0/2010,दिनांक 24 जून,2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग के मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) वेतनमान ₹4000–6000 (नये वेतनमान वेतन विसंगति कमेटी के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में ₹5200–20200 ग्रेड–पे 2400) को वेतनमान ₹5000–8000 (नये वेतन बैण्ड ₹9300–34800 ग्रेड–पे ₹4200) के वेतनमान में 27 जुलाई,2010 से उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यदि किन्हीं मामले में नये वेतनमान में वेतन के निर्धारण से पद का वेतन पुर्नरीक्षित किये जा रहे पे–बैण्ड के बीच पड़ता है तो वह संरक्षित कर उसमें केवल ग्रेड–पे के अन्तर (4200–2400=1800) ₹1800 की धनराशि अनुमन्य होगी। यदि किन्हीं कार्मिकों का वेतन उच्चीकृत किये जाने पर पे–बैण्ड के न्यूनतम से कम है तो उसका उक्त पुर्नरीक्षित किये जा रहे वेतन बैण्ड के न्यूनतम पर ग्रेड–पे के अन्तर की धनराशि अनुमन्य होगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–3065/XXVII(7)/दिनांक 27 दिसम्बर,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 1313/XIII(1)/2010–3(05)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, (लेखा हकदारी) माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इन्द्रानगर, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
8. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उपसचिव

(158)

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः 225 / XIII(1)2010–03(06)2006
देहरादूनः दिनांक 11 मार्च, 2010

अधिसूचना

कृषि विभाग में उपलब्ध संगठनों के अन्तर्निहित पदों के पुनर्गठन विषयक अधिसूचना संख्या–956 / कृषि–1(41) / 2002 दिनांक 02 अगस्त,2003 द्वारा निर्गत आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कृषि विभाग के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना संख्या–956 / कृषि–1(41) / 2002 दिनांक 02 अगस्त, 2003 के संलग्नक–1 के क्रमांक–14 पर अंकित वरिष्ठ मानचित्रक टंकित है, के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 पढ़ा जाय तथा क्रमांक–23 पर अंकित मानचित्रक टंकित है, के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 पढ़ा जाय।

(2) उक्त अधिसूचना में जहां–जहां वरिष्ठ मानचित्रक एवं मानचित्रक पदनाम टंकित है, वहां–वहां पर उपरोक्त पदों के साथ क्रमशः अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 पढ़ा जाये।

2 उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–227(NP) / XXVII–4 / 2010 दिनांक 09 मार्च,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

(159)

संख्याः .../XIII(1)2010-03(05)2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7- आयुक्त गढ़वाल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
8- कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9- अपर कृषि निदेशक,पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13- समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को राजयकी असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड ख में प्रकाशनार्थ एवं संशोधित सूचना की 200 प्रति उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
15- अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उपसचिव

(49)

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1408 / कृषि / 3(5) / 2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि, उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग सेवा नियमावली, 2000 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1—संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2—"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 में जहां जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है वहां—वहां वह शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

3—दिनांक 9—11—2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन—

दिनांक 9—11—2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

आज्ञा से,
(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 384 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1408/Agri/3(5)/2002 dated November 08, 2002 for general information :

NOTIFICATION

November 08, 2002

No. 1408/Agri/3(5)/2002—WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

AND WHEREAS, the U.P. Drawing Establishment Service Rules, 2000 is in force as rules in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the U.P. Drawing Establishment Service Rules, 2000 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :—